न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,(प्रशासन)बीकानेर
पीठासीन अधिकारी : श्री ए.एच गौरी आरएएएस

मुकदमा नम्बर : राजस्व अपील 07/2019

जगदीश पुत्र मांगीलाल जाति बागड़ी निवासी बागड़ी भवन के पास, नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर

अपीलाण्ट

बनाम

1. **रामगोपाल पुत्र देवकिशन जाति चाण्डक निवासी नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर**
2. **स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा**

रेस्पोण्डेण्ट्स

::अपील अन्तर्गत धारा 75 (डी) भू. राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से – श्री सत्यनारायण तिवाडी अधिवक्ता
2. रेस्पो. सं 1 की ओर से – श्री मदनमोहन रंगा अधिवक्ता
3. स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय दिनांक 30.09.2019

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि श्री रामगोपाल पुत्र देवीकिसन निवासी नोखा ने तहसीलदार नोखा के समक्ष निर्धारित प्रारूप में ग्राम ग्राम बीकासर के खसरा नम्बर 260/130 नया खसरा नम्बर मुताबिक जमाबंदी 506/0.01, 507/0.02, 511/013 कुल किता 4/021 हैक्टेयर भूमि में सीमांकन हेतु आवेदन किया । जिस पर 100/– निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 24.05.2019 को हल्का पटवारी बीकासर को सीमाज्ञान करवाये जाने हेतु आदेश दिये गये । इस आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार नोखा द्वारा हुक्म अदालत मातहत खिलाफ कानून कायदा व रूएदाद मिसल के होने से काबिले खारिज है। अतः अपील मंजूर फरमायी जाकर आदेश जैर अपील दिनांक 24.05.2019 तहसीलदार नोखा निरस्त फरमाया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर मामला दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेटान को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड मंगवाया गया। रेस्पोण्डेण्ट नम्बर 1 की ओर से श्री मदनमोहन रंगा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। तद्न्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

3. अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुवे कथन किया कि ग्राम बीकासर के खसरा नम्बर 507 तादादी 0.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 506 तादादी 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 511 तादादी 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 512 तादादी 0.05 हैक्टयर के संबंध में दावा अनवानी रामगोपाल बनाम जगदीश वगैराह रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था जो दिनांक 05.09.2014 को खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर में जैरकार है। आराजी जैर अपील के संबंध में एक अन्य दावा नैना देवी बनाम स्टेट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा में जैरकार हैं। फिर भी अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये आदेश जैर अपील पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से शन्य है।

4. अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि आराजी जैर अपील के संबंध में न्यायालयों में मुकदमें जैरकार है। इस कारण आराजी जैर अपील विवादित है। लैण्ड रेवून्यू एक्ट की धारा 128 के अनुसार विवादित मामलों में पैमाईश करने का आदेश प्रदान करने का क्षेत्राधिकार अदालत मातहत को नहीं होकर केवल मात्र लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर को थे, फिर भी अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित किया, जो क्षेत्राधिकार के बाहर होने से निरस्त योग्य है। अपीलान्ट ने दिनांक 19.06.2019 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी नोखा के यहां अदालत मातहत द्वारा प्रदत्त आदेश की रोक लगाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी नोखा ने अदालत मातहत से रिपोर्ट मांगी गई। इसके बावजूद अदालत मातहत ने दिनांक 19.06.2019 को ही सीमाज्ञान करवा दिया। जबकि मौक पर चार दिवारियां बनी हुई होने के कारण पैमाईश की जानी संभव नहीं है। मौके पर एक ईंच भूमि खाली नहीं है। आराजी जैर अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के समक्ष मुकदमें जैरकार है। जिसमें अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण जैरकार है। अपीलान्ट आदेश जैर अपील से व्यथित पक्षकार है। आराजी जैर अपील से संबंधित मुकदमा अनवानी नैना देवी बनाम स्टेट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा में जैरकार था जिसके अदम हाजरी में खारिज होकर रेस्टोर हो जाने पर न्यायालय राजस्व मण्डल में निगरानी जैरकार है। उक्त दावे में नैना देवी का मुख्त्यार वहीं व्यक्ति है जो इस अपील में रेस्पोडेन्ट नं. 1 का मुख्त्यार है। उक्त दावा में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मुख्त्यार ने अंकित किया कि कृषि भूमि प्रार्थीया के नाम 0.56 हैक्टयर है जिसमें से 0.15 हैक्टयर भूमि अपीलान्ट व 0.21

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

हैक्टयर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विक्रय करने के बाद 0.20 हैक्टयर भूमि की प्रार्थीया खातेदार है जबकि प्रार्थीया के नाम आराजी जैर अपील 0.56 हैक्टयर में कभी अंकित नहीं रही। राजस्व रिकार्ड में अंकित 0.36 हैक्टयर भूमि को प्रार्थीया को कथनानुसार बैय किया जा चुका है। इस कारण नैना देवी की कोई भूमि शेष नहीं रही है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पैमाईश करवाने को आधार बनाकर नैना देवी द्वारा उक्त पैमाईश की आड़ में अपीलान्ट की भूमि में दखल अंदाजी करने की कोशिश की जा रही है। नैना देवी द्वारा अपील हाजा में पक्षकार बने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो न्यायालय वाला द्वारा खारिज किया जा चुका है।

5. अपीलान्ट अधिवक्ता ने अन्त में निवेदन किया कि अपील मंजूद फरमायी जाकर आदेश जैर अपील दिनांक 24.5.2019 तहसीलदार नोखा निरस्त फरमाया जावे। बहस के समर्थन में विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा आरआरडी 1980 पेज 48 बी, आरआरडी 1983 पेज 554 व आरएलडब्ल्यू (आर) 2011(1) 441 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बीकासर के खेत खसरा नम्बर 260/130 सवा दो बीघा भूमि मिलान क्षेत्र के मुताबिक 0.56 हैक्टयर जो बीकानेर से जोधपुर हाइवे पर ग्राम नोखा मण्डी में प्रवेश होते ही मुख्य रोड़ के ऊपर स्थित है। उक्त भूमि पूर्व एमएफएफआर के विस्थापित ईश्वरदास पुत्र रूघादास के नाम आवंटित हुई थी जो शुद्ध रकवा आराजी राज मौके पर खाली होते हए पटवारी हल्का गिरदावर जांच के बाद तहसीलदार द्वारा इंतकाल चढाया गया था। उक्त वर्णित भूमि जरिये बैयनामा नैना देवी पत्नी श्री पूनमचन्द को विक्रय कर मौके पर कब्जा सुपुर्दगी के पश्चात प्रार्थीया की गिरदावरी प्रार्थीया के नाम इंतकाल जमाबंदी मौका नक्शा कब्जाशुदा भूमि अपने कब्जा काश्त में होते हुए उक्त भूमि के पास में अपीलान्ट का भारतीय खाद निगम का गोदाम था। जिसमें जाने के लिए रास्ता छोटा था तो सेठजी ने निवेदन किया कि उक्त भूमि में से कुछ हिस्सा हमे बैयनामा करा दो। उस पर प्रार्थीया ने 0.15 हैक्टयर भूमि जगदीश पुत्र मांगीलाल बागड़ी के नाम दिनांक 18.10.2002 को बैयनामा से विक्रय कर दी। शेष भूमि में से 0.21 हैक्टयर भूमि प्रार्थी रामगोपाल पुत्र देवकिशन को विक्रय कर दी। राजगोपाल को भूमि विक्रय करने से बागड़ी सीरियल के पार्टनर, प्रोपराईटर, डारेक्टर वगैराह ने एवं जगदीश पुत्र मांगीलाल द्वारा सम्पूर्ण भूमि को खरीदने के लिए विभिन्न न्यायालय में में पूर्व आवंटित भूमि ईश्वरदास के नाम का मूल

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

अलॉटमेंट खारिज करने के लिए अपील की गई जो राजस्व अपील अधिकारी द्वारा खारिज होने के पश्चात अपीलान्ट बागड़ी सीरियल बनाम ईश्वरदास के नाम राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी सं. 67/2001 की जो विचाराधीन है। उक्त अनवान संबंधित एक वाद उपखण्ड अधिकारी दक्षिण बीकानेर चल रहा था जिसका क्षेत्राधिकार नोखा से उपखण्ड अधिकारी नोखा के कार्यालय में बागड़ी सीरियल एवं उमाराम जाट पड़ौसी थे उनको पार्टी बनाया गया। चूंकि पूर्व में उक्त भूमि के संबंध में नौना देवी बनाम उम्मेदाराम पुत्र श्री अचलादान के साथ भूमि कब्जा संबंधी एक एफ.आई.आर. पुलिस थाना नोखा में दर्ज कराया था। जिसकी एफ.आर. लगने से सिविल न्यायाधीश नोखा में प्रोस्टेट पिटीशन पेश किया गया। जिसमें न्यायालय द्वारा निर्णय में बताया गया कि नैनादेवी की भूमि 260/130 उमाराम के खसरा न।. 129 में दबी हुई है। जबकि उमाराम की भूमि खेत खसरा नं. 129 को जगदीश पुत्र मांगीलाल द्वारा खरीद कर ली गई तो नैना देवी के हिस्से की जमीन जगदीश पुत्र मांगीलाल बागडी की भूमि में ही माना जाएगा। चूंकि जो हक उमाराम को था जिसका बैयनामा में स्पष्ट उमाराम ने लिखा है कि मुझे जो हक निहित थे वो हक क्रेता जगदीश प्रसाद को होगा। इसी आधार उक्त खसरा नं. 260/130 की भूमि बागड़ी सीरियल प्राईवेट लि. कलकता 7 जगदीश पुत्र मांगीलाल बागड़ी के कब्जे में ही मानी जाएगी। उक्त भूमि में से 0.20 हैक्टयर भूमि भू–प्रंबधक विभाग द्वारा नया खसरा मुताबिक 0.56 हैक्टयर की बजाय 0.30 हैक्टयर बना दी । जिसका पूर्व में ही कब्जे शुदा स्थगन आदेश उपखण्ड अधिकारी दक्षिण बीकानेर मौजूद थे जबकि किसी व्यक्ति की भूमि राज्य सरकार चाहे भारत सरकार हो कम करने का अधिकार किसी को ही नहीं होने की बजाय उक्त भूमि संबंधी एक वाद नैना देवी बनाम स्टेट आदि उपखण्ड अधिकारी नोखा के यहां पेश किया जिसमें स्टेट की ओर से पैरोकार राज नायब तहसीलदार ने अपने जवाब में स्वीकार किया कि प्रार्थीया की भूमि 0.56 हैक्टेयर की 0.36 हैक्टयर की है तो प्रार्थीया की वास्तविक में 0.20 हैक्टयर भूमि कम है, जो संदेह का विषय है।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की यह भी बहस है कि उक्त अनवान में बागड़ी सीरियल के प्रोपराईटर इत्यादि ने अपने अधिवक्ताओं के मार्फत ऐतराज किया है। एक वाद नैना देवी बनाम उम्मेददान वगैराह उपखण्ड अधिकारी दक्षिण बीकानेर से ट्रांसफर होकर नोखा में आये उसमें बागड़ी सीरियल प्राईवेट लि. कलकता 7 पार्टी थी उसमें जगदीश पुत्र मांगीलाल की तरफ से जरिये वकील एक झूठा प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बीकासर के खसरा नं.

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

260/130 की सवा दो बीघा यानि 0.56 हैक्टयर सम्पूर्ण भूमि प्रार्थीया नैना देवी ने जगदीश पुत्र मांगीलाल बागड़ी को जरिये बैयनामा दिनांक 18.10.2002 को विक्रय कर दिया। जबकि जगदीश पुत्र मांगीलाल को प्रार्थीया का 0.15 हैक्टयर का ही बैयनामा किया हुआ था। उपखण्ड अधिकारी ने उनके प्रार्थना पत्र को सही मानते हुवे नैनादेवी बनाम उम्मेददान दावा खारिज कर दिया। जिसकी निगरानी 5177/2007 राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन चल रहा है। एक वाद नैनादेवी बनाम स्टेट उपखण्ड अधिकारी नोखा चल रहा था जो खारिज हो गया था तथा पुनः रेस्टोर होने के बाद जगदीश बनाम नैनादेवी राजस्व मण्डल अजमेर में कर रखी है, जो आज तक विचाराधीन है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड सवा दो बीघा भूमि यानी 0.56 हैक्टयर भूमि में से 0.21 हैक्टयर रामगोपाल पुत्र देवकिशन एवं 0.20 हैक्टयर भूमि का दावा उपखण्ड अधिकारी नोखा में जैरकार होते हुए भी सम्पूर्ण भूमि जगदीश पुत्र मांगीलाल बागड़ी अपनी बताते हुए श्रीमान्जी के कार्यालय में जगदीश बनाम रामगोपाल की अपील में समस्त दस्तावेजे लगे हुए है के अवलोकन से दस्तावेज सामने आ जायेगें।

8. रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अन्त में यह भी कथन किया प्रार्थी ने विभिन्न न्यायालयो में भूमि की सुरक्षा व कब्जा से मुक्त करने बाबत उपखण्ड अधिकारी नोखा एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर जहां भी दावा अपील उसमें कहीं भी पैमाईश एवं निशानदेही व पत्थरगढ़ी करने में कतई मनाही नहीं है। राजस्व तहसीलदार, पटवारी, निरीक्षक गिरदावर, ग्राम पंचायत इत्यादि ने प्रथम एम. एफएफआर के विस्थापित के नाम राजस्व रिकार्ड में जांच होकर चढा है बाद में नैनादेवी पत्नी पूनमचन्द के नाम का राजस्व रिकार्ड में नाम चढ़ा है उसके बाद रामगोपाल पुत्र श्री देवीसिंह के नाम का इंतकाल चढ़ा है। इन्तकाल जमाबंदी गिरदावरी सभी तहसीलदार कार्यवाही ग्राम पंचायत कार्यवाही झूठ है जो अदालत अपने स्तर पर चाराजोही करें एवं मौका कमीशन नियुक्त करें तथा तहसील नोखा से तहरीर लेकर न्याय करें। उक्त भूमि संबंधी एक इस्तगासा जगदीश पुत्र मांगीलाल के नाम सिविल न्यायाधीश नोखा में पेश किया जिसका एफ.आई.आर. नं. 284 दिनांक 06.08.2019 नोखा थाना में पेश किया हुआ है। जिसकी प्रति दस्तावेज फर्द के साथ संलग्न है। उक्त भूमि की पैमाईश संबंधी अपीलान्ट को ऐतराज है तो पुनः पैमाईश करा कर निशानदेही दिलाकर पत्थरगढी का आदेश देवे अन्यथा उक्त विवादित भूमि को ताफैसला कुर्क कराई जाकर रिसीवर नियुक्त किया जावे अथवा अपील जैर आदेश का EXICUTION हो जाने पर अपील संधारणीय नहीं है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

9. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील तहसीलदार नोखा के आदेश दिनांक 24.05.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। जिसके द्वारा तहसीलदार नोखा ने ग्राम बीकासर के खसरा नम्बर 506, 507, 511 एवं 512 की .21 हैक्टयर भूमि जो कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी दिनांक 22.05.2019 के आवेदक श्री रामगोपाल के नाम दर्ज है, के आधार पर 100/– रूपये राजकोष में राशि जमा करवाकर पटवारी हल्का को उक्त रकबे का सीमाज्ञान करवाने का आदेश दिया। जिसकी पालना में दिनांक 19.06.2019 को सीमाज्ञान करवाकर फर्द मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस प्रकार खातेदार द्वारा अपनी भूमि पैमाईश/सीमाज्ञान हेतु किये गये आवेदन पर तहसीलदार नोखा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2019 के लिए प्रस्तुत आवेदन एवं रिपोर्ट पटवारी एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि सीमाज्ञान करवाने पर किसी न्यायालय का स्थगन रहा हो। साथ ही सीमाज्ञान के उक्त आदेश की क्रियान्विती होना भी स्वयं अपील मीमों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध फर्द मौका से होती है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस स्तर पर चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज किया जाता है।

11. निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति. जिला कलक्टर
बीकानेर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Azizul Hassan Gauri
Date: 2019.11.22 12:22:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: